738वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 अप्रैल 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 738वीं बैठक दिनांक 22/04/2024 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. **Case No 8830/2021 Shri Amit Sharma S/o Shri Laxminarayan Sharma, Dana Oil New Sarafa, Lashkar, Dist. Gwalior, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (20,000 cum per annum to 34,000 cum per annum) (Khasra No. 3921), Village - Biloua, Tehsil - Dabra, Dist. Gwalior (MP) Consultant Shri Amit Saxena Apex Mintech Udaypur (Rj.) DEIAA case .**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 3921), Village - Biloua, Tehsil - Dabra, Dist. Gwalior (MP) 1.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

Chronology of the project :

- modified Mining Plan with progressive Mine Closure Plan prepared for enhance production of stone 20000 PP submitted that Environmental Clearance is required for mining project for a targeted production of Stone enhance 20000 cum per annum to 34000 cum. per annum. Initially, the quarry lease extraction for crushing purpose of stone, over an area of 1.00 hect (Survey No. 3921) for, situated near village- Biloua, Tehsil – Dabra, District-Gwalior (M.P.) Letter of Intent has been issued in favour of Shri Amit Sharma for 10 years by the Director of Geology & Mining Department Bhopal (M.P.) vide letter no. 12489/ Khanij / U.P./ Na. Kra. 09/2016, Dated 27.07.2016 for submitted the approval Mining Plan. The Mining Plan with progressive Mine Closure Plan was approved by Regional Head Geology & Mining Department, Gwalior for a production of Stone 20000 cum per annum. Environmental Clearance has been issued by DEIAA, Gwalior vide letter No. 1247/DEIAA/Na.Kra.-1/2016, Gwalior dated 22.02.2017 for proposed production of Stone Gitti 20,000 cu.m. per annum. Thereafter lessee wants Enhance the production of stone 20000 Cum./ year to 34000 Cum. /year. The Cum./ year to 34000 Cum. /year

and submitted under Rule 42 (c) of M.P. Minor Mineral Rules 1996 for necessary approved and same was approved by Regional Head Geology & Mining Department, Gwalior.

- Earler in this case TOR was recommended by 534th SEAC meeting dated 15/12/2021.

- राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

- प्रकरण सेक की 635वीं बैठक दिनांक 08/04/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

- दिनांक 29/05/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री अमित शर्मा (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर (राज.) उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के दक्षिण–पूर्वी क्षेत्र में 80 मीटर दूरी पर तालाब है । आवंटित खनन् क्षेत्र से कच्चा / हॉलेज रोड़ निकल रहा है । प्रकरण क्षमता विस्तार 15,894 घनमीटर/वर्ष से 34,000 घनमीटर/वर्ष का है। इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–26 के सरल क्रमांक–41 पर दर्ज है । प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति डिया के पत्र क्रमांक 1247 दिनांक 22/07/17 द्वारा जारी की गई है । प्रश्नाधीन खदान को पूर्व में डिया से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई है अतः अतः परीक्षण के दौरान पाया गया कि **डिया की अन्य शर्तो के साथ वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. संबंधी शर्तो का पूर्णतः पालन नही हुआ है। जैसे कि खदान के चारो ओर फेंसिग का 200 मीटर का कार्य शेष है, वृक्षारोपण संबंधी कार्य परियोजना प्रास्तावक द्वारा जोराशी पहाड़ी पर किया है परन्तु वृक्षारोपण संबंधी जानकारी /फोटोग्राफ प्रस्तुतीकरण में नही थे, सी.टी.ओ., सीटीई से संबंधित बिंदु भी परियोजना प्रस्तावक द्वारा पालन नही किया है ।**
- अतः समिति ने चर्चा कर यह पाया कि सिया द्वारा जारी टॉर बिंदुओ पर पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान निम्न जानकारी प्रस्तुत नही गई है अतः निर्णय लिया कि उपरोक्त संदर्भ में समिति द्वारा अनुसंशित टॉर के अनुसार निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की जावे –
  - Compliance of consent conditions of M. P. Pollution Control Board from concerned Regional Office.
  - A blast induced ground vibration and air over pressure study for the mines located within 500 m of any dwellings or any other important

structure. The study should clearly recommend a site specific square root predictor equation for determining the maximum charge/delay that can be safely used.

- Hydrological studies be carried out to address the impact of existing mining activities on ground water. The report shall clearly mention the maximum depth up to which mining can be allowed in the cluster without causing any adverse impact on ground water and extent up to which mining can be allowed near surface water body.
- In addition to EMP for entire cluster in the EIA report a site specific EMP for each mine should also be prepared and submitted separately.

- समिति द्वारा प्रकरणो के प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रायः यह देखा जाता है कि जो टॉर बिंदु सेक द्वारा अनुसंशित किये जाते है वे टॉर बिंदु सिया द्वारा पूर्णतः शामिल नही किये जाते है । प्रस्तुत प्रकरण 8830/21 में बिंदु क्रमांक 16,17,19 एवं 22 बिंदुओ पर परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा जानकारी प्रस्तुत नही की गई अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनः जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त वांछित जानकारी प्राप्त न होने की दशा मे राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) द्वारा 666वीं बैठक दिनांक 04/08/2023 द्वारा प्रकरण को डिलिस्ट करने हेतु अपनी अनुशंसा की गई है।
- राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) द्वारा 803वीं बैठक दिनांक 25/08/2023 द्वारा प्रकरण को डिलिस्ट किया गया।
- राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) द्वारा 823वीं बैठक दिनांक 29/12/2023 द्वारा प्रकरण को डिलिस्ट करते हुये प्रकरण को प्रेषित किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 22/04/24 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया, प्रकरण समिति की 645वीं बैठक दिनांक 29/05/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अमित शर्मा (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर (राज.) उपस्थित हुए।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तो का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	फेंसिंग 40 प्रतिशत बनी हुई है व 120 पौधों का रोपण किया गया है। गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक05 प्रतिशत बनी हुई है
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	

अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
ओवर वर्डन डम्प की वर्तमान स्थिति	लीज में स्थित है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	संतोषजनक कार्य किये गये हैं।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 20 पेड़ लगाये गये एवं 50 पेड़ बांटे गये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 20,000 cum per annum to 34,000 cum per annum घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 7.20 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 3.41 लाख प्रति वर्ष एवं क्लस्टर पर्यावरण प्रबंध योजना मद में केपीटल राशि रू. 23.53 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 1.30 लाख प्रति वर्ष
3. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।
4. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तो का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
5. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
6. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार

की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

2. **Case No 10752/2023 Shri Sandeep Rai, Owner, Niwasi-Bichiya, Tehsil-Shahpura, District-Dindori (MP)-481885 Prior Environment Clearance for Bhardwara Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (3001 cum per year) (Khasra No. 62/5, 62/6, 65), Village-Bhardwara, Tehsil-Shahpura, District-Dindori (MP) [419957] [DEIAA].**

पूर्व में इस प्रस्तावित खदान का समिति की 706वीं बैठक दिनांक 28/12/2023 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसे परियोजना प्रस्तावक Shri Sandeep Rai, Owner एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज मेसर्स जेनिथ इंवायरमेंट कंसलटेंसी नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज**	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Sandeep Rai, Owner, Niwasi-Bichiya, Tehsil-Shahpura, District-Dindori (MP)-481885 Prior Environment Clearance for Bhardwara Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (3,001 cum per year) (Khasra No. 62/5, 62/6, 65), Village-Bhardwara, Tehsil-Shahpura, District-Dindori (MP) [419957] [DEIAA],	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.– 62/5ए 62/6ए 65ए.	एरिया– 2.00 ha., निजी भूमि (मेहरा जाति–अनुबंध जमा कराश गया)
परियोजना स्थल	ग्राम– भरद्वारा, तहसील – शाहपुरा, जिला– डिण्डोरी (म.प्र.).	
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. 455 दिनांक 08/02/2017.	
परियोजना की श्रेणी	बी–2.	
जल/वायु सम्मति नवीनीकरण	Consent No:AW-115573 वैद्यता दिनांक 13/01/2025.	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	• Muffle Blasting (As per Parivesh Portal up-loaded information).	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	**डिया–डिण्डोरी के पत्र कमांक 825 दिनांक 24/07/2017 के माध्यम से पूर्व पर्यावर्णीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है।**	
उत्पादन क्षमता	Gitti – 3,001 cum per year.	

परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डोरी . के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 735 दिनांक 06/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य 01 खदान स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 2.70 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डोरी . के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 879 दिनांक 22/09/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डोरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 879 दिनांक 22/09/2023 अनुसार बरसाती नाला–50 मी., पक्का रास्ता–120 मी की दूरी पर स्थित है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/	ग्राम पंचायत– बडखेड़ा जिला – डिण्डोरी का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 08 दिनांक 29/12/2018 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर दिशा– . पक्की रोड लगभग 60 मी.
	पश्चिम दिशा– प्राकृतिक नाला लगभग 39 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–142 के सरल क्रमांक–40 पर दर्ज है।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तो का पालन प्रतिवेदन देखा गया।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	फेन्सिंग लगभग 75 प्रतिशत है
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। सामुदायिक भवन बनाया गया है। फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं किये है।
पौधरोपण कार्य	लगभग 500 पौधे क्रशर के पास लगाये है

परीक्षण के उपरांत समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान में स्थित पिट को मुरूम से भर दिया गया है, अतः जियोटेग फोटो प्रस्तुत किया जायें।
2. गुगल ईमेज के अनुसार कुछ अन्य खदाने दिख रही है। अतः नवीन एकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
3. पक्की रोड लगभग 60 मी. एवं प्राकृतिक नाला लगभग 39 मी. पर स्थित है। अतः स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये पुर्नरक्षित सरफेस प्लान प्रस्तुत करें।
4. ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार फेन्सिग एवं वृक्षारोपण के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का वचन पत्र कि शेष बचा हुआ कार्य कब तक पूर्ण करेगें।
5. उपरोक्त के अतिरिक्त प्रकरण के संबंध में समिति को श्री अघनु सिंह मेसराम, ग्राम सभा अध्यक्ष, पैसा एक्ट समिति की शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत में उठायें गये निम्न बिन्दुओं पर पृथक से जानकारी प्रस्तुत की जाये :–
   - खदान क्षेत्र के निकट स्थित सिचाई हेतु बनाई गई पक्की नहर की वस्तु स्थिति एवं इसके संरक्षण हेतु किये गये उपाय।
   - ग्राम भरद्वारा पैसा एक्ट के अंतर्गत चिन्हित होना बताया गया है। अतः पैसा एक्ट के अंतर्गत ग्राम सभा समिति से प्राप्त अनापत्ति/प्रस्ताव।
   - खदान संबंधि कोई भी न्यायालयीन वाद अथवा कोई निर्देश हो तो उसके संबंध में पूर्ण जानकारी।
   - खदान के निकट प्राकृतिक नाले की वस्तु स्थिति एवं इसके संरक्षण हेतु किये गये उपाय।
   - खदान क्षेत्र अथवा आसपास यदि क्रशर या एम सेंड प्लान्ट की स्थापना की गई हो तो उसकी जानकारी प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, प्रकरण को समिति की आज बैठक दिनांक 22/04/24 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया, परियोजना प्रस्तावक Shri Sandeep Rai, Owner एवं पर्यावरणीय सलाहकार श्री मयंक जादौन FAE ऑनलाईन मेसर्स जेनिथ इंवायरमेंट कंसलटेंसी नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए। समिति द्वारा प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के प्रारम्भ में पर्यावरणीय सलाहकार से पूछने पर ज्ञात हुआ कि उनके यहॉ से स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है। अतः समिति ने निर्देश दिये कि खदान क्षेत्र का एवं आस–पास के क्षेत्र का स्थल निरीक्षण कर जियोटेग फोटोग्राफ के साथ प्रस्तुत करें। तदुपरान्त प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

3. **Case No 10478/2023 Shri Veer Gurjar, Lessee, R/o House No. 23, Ahinsa Vihar Colony, Ayodhya Bypass Road, District-Bhopal (MP)-462041, Prior Environment Clearance for Stone & M-sand Quarry in an area of 4.00 ha. (Stone-90000, M-**

Sand-60000 cum per year) (Khasra No. 102, 103P), Village-Jawaharkhera, Tehsil-Budni, District-Sehore (MP). DEIAA.

पूर्व में इस प्रस्तावित खदान का समिति की 688वीं दिनांक 12/10/2023 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। यह प्रकरण समिति के समक्ष री–एपराईजल हेतु सिया के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि प्रस्तावित प्रकरण में उल्लेखित खदान को जिला स्तरीय समिति द्वारा पत्र **दिनांक** 23/05/16 **के माध्यम से** पर्यावरणीय स्वीकृति **जारी की गई थी। उक्त बैठक में** समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरण के री–एपराईजल हेतु परियोजना प्रस्तावक डिया फार्मेट के अनुसार जानकारी प्रस्तुत करें।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्ताव ने परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत कर दी गई है, जिसमें समिति समक्ष आज दिनांक 22/04/2024 को प्रस्तुतीकरण हेतु रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री वीर गुर्जर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तो का पालन प्रतिवेदन देखा गया।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	आंशिक पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	सघन वृक्षारोपण नहीं किया गया।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	नहीं पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	नहीं पाये गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के साक्ष्य प्रस्तुत किये।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– प्राकृतिक नाला लगभग 94 मीटर, उत्तर पूर्व दिशा– जल निकाय क्षेत्र लगभग 220 मीटर एवं उत्तर पश्चिम

	दिशा– शेड लगभग 40 मीटर। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया कि खदान के आसपास जो पिट दिखाई दे रहे हैं जो निजी खेतों में किसान द्वारा बनाये गये है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा रातापानी अभ्यारण से दूरी के संबंध में जिला वन मण्डल अधिकारी का पत्र क्रमांक 2680 दिनांक 28/09/2013 प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख है कि रातापानी अभ्यारण से लीज क्षेत्र की कोर जोन से दूरी 6 कि.मी. है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Stone-90000, M-Sand-60000 cum per year ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.12 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 3.89 लाख प्रति वर्ष ।
3. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।
4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
5. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि (रू. में)
ग्राम कठोतिया के शासकीय विद्यालय के विकास हेतु उल्लेखित राशि भू–प्रवेश मिलने के 3 माह के भीतर जमा करवा दी जावेगी।	1,40,000/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियतस्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1.	उत्खनिपट्टे के बैरियरजोन के अंतर्गत	सिस्सू, काला सिरिस, सफेद सिरिस, खमेर, पीपल, जंगल जलेबी, नीम, सीताफल, चिरोलआदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	930 पौधे
2.	गैर खनन क्षेत्र में	नीम, पीपल, जंगल जलेबी, सिस्सू, काला सिरिस, सफेद सिरिस, खमेर, सीताफल, चिरोल आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	300 पौधे
3.	परिवहन मार्ग में 15 मी. पर	नीम, सिस्सू, कदम्ब, करंज,पाकर, पीपलआदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री–गार्ड के साथ	100 पौधे
4.	शासकीय शालामें वृक्षारोपण	पुत्रंजीवामोलश्री, सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ। पूर्ण सुरक्षा सहित।	50 पौधे
5.	पोस्ट ऑफिस जवाहरखेड़ा के परिसर में	पुत्रंजीवामोलश्री, सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ। पूर्ण सुरक्षा सहित।	50 पौधे
6.	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिडमुनगा आदि अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3370पौधे
		कुल वृक्षारोपण	4800पौधे

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार

की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

4. **Case No 10329/2023 Shri Sanjay Bhawsar, R/o Khanjanpur, District Betul (MP)-460001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (19600 cum per year) (Khasra No. 19/2), Village-Kolgaon, Tehsil-Betul, District-Betul (MP)**

प्रस्तावित खदान का समिति की 679वीं दिनांक 14/9/23 को प्रस्तुतीरण हुआ था, जिसमें **समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि** ई.सी. शर्तो के अनुसार फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं स्थायी प्रकृति का समाजिक कार्य की प्रमाणिक प्रति एवं अन्य शर्तो का शत् प्रतिशत पालन प्रतिवेदन **एवं दस्तावेज, व्यय, फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करें तब उनके प्रकरण पर विचार किया जायेगा ।**

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्ताव ने दिनांक 19/02/2024 को प्रस्तुत कर दी गई है, जिसमें समिति समक्ष आज दिनांक 22/04/2024 को प्रस्तुतीकरण हेतु रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री संजय भावसार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण करने के उपरान्त पाया कि जिला खनिज अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 149 दिनांक 31/01/2024 के द्वारा लीज क्षेत्र के संशोधित अक्षांश –देशांश प्रदाय किये गये हैं।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये	अवलोकित नहीं हुई।

गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 90 पेड़ लगाये गये एवं 300 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। मात्र फोटोग्राफ प्रस्तुत किये हैं।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	वाटर बाडी– उत्तर पश्चिम दिशा– 60 मी., 40 मी. का सेटबेक दिया है। पोल्ट्री फार्म उत्तर पश्चिम दिशा– 350 मी., प्राकृतिक नाला उत्तर दिशा– 52 मी. लीज से लगी हुई एक पक्की सड़क है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया कि यह हालेज रोड है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया कि खनन कार्य में ब्लास्टिंग नहीं की जावेगी । परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–19600 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 6.43 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.97 लाख प्रति वर्ष ।
3. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तो का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
4. संशोधित सरफेस मेप का समावेश खनन् योजना में भू–प्रवेश के पूर्व कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
5. संशोधित सरफेस मेप जो परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया है । यदि इससे उत्पादन में परिवर्तन होता है, उसको भी संशोधित माईन प्लान में समावेश किया जावे ।
6. जिला खनिज अधिकारी मौके पर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप के अनुरूप खनन् कार्य किया जावेगा ।
7. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेगें कि संशोधित सरफेस मेप ६ संशोधित माईन प्लान के अनुरूप खनन् कार्य हुआ है।
8. यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित जिला कलेक्टर के संज्ञान में लायेंगे तथा म.प्र. गौण खनिज नियम के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित् करेंगे तथा सिया को अवगत करायेंगे ।

9. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।

10. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.6 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि (रू. में)
ग्राम कोलगाओं स्थित शासकीय विद्यालय में प्रयोगशाला के विकास हेतु उल्लेखित राशि जमा करवाई जावेगी।	60,000/-

11. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियतस्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1.	उत्खनिपट्टे के बैरियर जोन के अंतर्गत	आंवला, सीताफल, गुआवा, आम,कटहल,मुनगा हाइब्रिड महुआ, अचार आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	550 पौधे
2.	परिवहन मार्ग में	करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, महुआ, कदम्ब इत्यादि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री–गार्ड के साथ	100 पौधे
3.	ग्राम कोलगाओं में स्थित माध्यमिक विद्यालय के परिसर में	पुत्रं जीवा मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	50 पौधे
4.	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	1700 पौधे

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

5. Case No 9402/2022 Shri GAGAN SIKKA, Authorized Signatory, M/s BALAJI MINERAL, Village: Prakash Bamhori, Tehsil: Gaurihar, District: Chattarpur (M.P.), Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.536 ha. (2,16,326 Cum per annum) (Khasra No. 1945), Village - Prakash Bamhori, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP). EIA.

प्रस्तावित खदान की 667वीं दिनांक 08/8/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । **समिति द्वारा** परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिंदु पर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया –

- समिति की पूर्व की 605वीं बैठक दिनांक 10/11/22 में उत्पादन क्षमता 2,16,326 Cum per annum के लिए टॉर की अनुशंसा और परिवेश पोर्टल आवेदन के पार्ट–बी के बिंदु क्रमांक–15.3 Additional Information पर अपलोड फार्म–1 एवं पीएफआर में भी स्टोन उत्पादन क्षमता 2,16,326 घनमीटर/वर्ष उल्लेखित है और इनती ही मात्रा की जन सुनवाई सम्पन्न हुई है जबकि परियोजना प्रस्तावक ने परिवेश पोर्टल आवेदन के पार्ट–ए के बिंदु क्रमांक–13 Details of Products & By-products पर पत्थर–2,16,326 घनमीटर/वर्ष एवं माइन वेस्ट–28,305 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया जो अनुमोदित खनन् योजना, टॉर एवं फार्म–1 एवं पीएफआर के अनुरूप नहीं है ।

उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रकरण को समिति की 695वीं बैठक दिनांक 21/11/23 को डिलिस्ट कर दिया गया था ।

प्रकरण पुनः रिलिस्ट होकर प्राप्त हुआ है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 22/04/24 को रखा गया, जिसमें के दौरान चाही गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के कारण परियोजना प्रस्तावक श्री गगन सिक्का एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी में उल्लेख किया है कि परिवेश पोर्टल आवेदन के पार्ट–ए के बिंदु क्रमांक–13 Details of Products & By-products में उत्पादन क्षमता त्रुटिवश गलत भर दी गई

थी। चूँकि परिवेश पोर्टल के पार्ट–सी जमा होने पर पार्ट–ए एवं पार्ट–बी की किसी जानकारी को बदला नहीं जा सकता है अतः टॉर लेटर में दी गई उत्पादन क्षमता 216326 घन मी./वर्ष ही खनन कार्य करेगा तथा संबंधित विभाग से यह अनुरोध करता है कि पार्ट–ए में त्रुटिवश दी गई By-products की जानकारी को नगण्य मानने की कृपा करें। समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यो की समीक्षा की गई।

समिति ने परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये प्रस्ताव को मान्य करते हुये पत्थर की उत्पादन क्षमता 2,16,326घन मी./वर्ष की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 2,16,326 घन मी./वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 35.36 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 4.35 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि (रू.में)
10 No. of Solar Street Lights for the Prakash Bamhori Village @16,000 INR/Light	1,60,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4243वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	Neem, Seesam, Khamer, Chirol & Karanj	2715
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री–गार्ड के साथ)	Neem, Sisam & karanj	1090
	Plantation in Community Land	Neem, Pipal, Kadamb, Karanj & Ashok	200

	Implementation agency: through DFO/comptent agency/Gram Panchayat
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव/मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।	

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

6. Case No 10466/2023 Shri ARJUN SHRIVASTAVA, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधन संभागीय कार्यालय, भोपाल, Apollo paradise, Bawadiya Kalan, Near Minal Enclave, Gulmohar, Huzur, Bhopal (M.P.), Prior Environment Clearance for Chhindgaonkachhi Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (66000 cum per year) (Khasra No. 63), Village-Chhidgaonkachhi (Chhitgaon), Tehsil-Nasrullaganj, District-Sehore (MP).

प्रस्तावित खदान का समिति की 687वीं बैठक दिनांक 11/10/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

प्रकरण में सिया की 816वीं बैठक दिनांक 09/11/23 को जिले की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन के उपरांत ही प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाये । सिया में जानकारी प्रेषित किये जाने की शर्त पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा न की जाये, के आधार पर प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति को प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण समिति के समक्ष समिति की 703 वीं बैठक दिनांक 18/12/23 को रखा गया है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक अर्जुन श्रीवास्तव, खनिज विभाग से खनिज अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह परमार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

- समिति द्वारा माईनिंग प्लान के अक्षांस देशांस के आधार पर बैठक दिनांक 11/10/2023 में उपस्थित माईनिंग अधिकारी ओर परियोजना प्रस्तावक के द्वारा किये गये अनुरोध के आधार पर प्रकरण का परीक्षण किया गया था तदानुसार खनन योग्य मात्रा की अनुशंसा की गई थी।
- साथ ही यह भी निर्देश दिये गये थें कि प्रक्रिया अनुसार डीएसआर के संबंधित पृष्ठ पर भी संशोधन कर उसकी प्रति सिया को प्रस्तुत की जावेगी जिसका उल्लेख मिनटस में किया गया है ।

- आज दिनांक प्रस्तुतीकरण के दोरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईनिंग अफसर की प्रतिवेदन 20/06/2023 प्रस्तुत किया गया जिसमें संशोधन का आश्वासन दिया गया है। अतः प्रकरण पुनः पूर्व अनुशंसा सहित प्रस्तुत है।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्ताव ने दिनांक 09/02/2024 को प्रस्तुत कर दी गई है, जिसमें समिति समक्ष आज दिनांक 22/04/2024 को प्रस्तुतीकरण हेतु रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक अर्जुन श्रीवास्तव, खनिज विभाग से खनिज अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह परमार, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा जिला–सीहोर का पत्र क्रमांक 1581 दिनांक 18/04/2024 प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख है स्वीकृत 30 रेत खदानों में से ग्राम छिन्दगांव काछी, तहसील–भैरूदा, जिला–सीहोर, खसरा क्र. 63 रकबा 5 हेक्ट. पर उत्खनिपट्टा स्वीकृत हुआ है। रेत खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज क्रमांक 126 के सरल क्रमांक 13 पर अंकित रेत खदान की वार्षिक उत्पादन 00 घ.मी. अनुमोदित है। परिक्षण में पाया गया कि प्रस्तावित रेत खदान एक नवीन खदान है एवं पूर्व में इस खदान से किसी भी प्रकार की रेत निकासी नहीं की गई है। खनि निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार ग्रम छिदगांवकाछी तहसील–भैरूदा, जिला–सीहोर, खसरा क्र. 63 रकबा 5 हेक्ट.क्षेत्र पर रेत खनिज की उपलब्ध मात्रा 1,50,000 घन.मी. में से नियमानुसार 90,000 घन.मी./वर्ष खनन किया जाना प्रस्तावित है। जोकि सम्पूर्ण मात्रा का 60 प्रतिशत है। अतः उपरोक्त मात्रा को अग्रिम कार्यवाही हेतु मान्य किया जावे एवं उपरोक्त प्रस्तावित संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में समावेश कर लिया जावेगा।

अतः प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि पुनः पूर्व सेक की 687वीं बैठक दिनांक 11/10/23 को की गई अनुशंसा को यथावत रखती है।

7. <u>Case No 10564/2023 Shri Hirendra Pratap Singh, Leessee, R/o Mahagad, Tehsil-Manasa, District-Neemuch (MP)-458113, Prior Environment Clearance for Barthun Stone Quarry in an area of 1.69 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 1190, 1193, 1194), Village-Barthun, Tehsil-Manasa, District-Neemuch (MP)</u>

प्रकरण समिति की 691वीं बैठक दिनांक 18/10/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । यह प्रकरण डिया द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के री–एपराईजल हेतु प्राप्त हुआ है। परियोजना प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार द्वारा दिया गया प्रस्तुतीकरण पूर्ण नहीं पाया गया। अतः समिति द्वारा पुनः निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये।

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
    - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
    - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

Note:
1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs.
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.

उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत करने के बाद प्रकरण को समिति के समक्ष 715वीं बैठक दिनांक 19/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक/उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना

प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध को मान्य करते हुए आज दिनांक समिति के समक्ष आज दिनांक 22/04/2024 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक Shri Hirendra Pratap Singh, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण (लगभग 300 मी.)पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 50 पेड़ लगाये गये एवं पेड़ नहीं बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।
परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि खदान क्षेत्र में 07 पेड़ हैं	07 पेड़ ही काटे जावेगें जिसके एवज में 70 अतिरिक्त पेड़ लगाये जाना प्रस्तावित है।

738वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 अप्रैल 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–10,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 15.76 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.98 लाख प्रति वर्ष ।
3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित जिला कलेक्टर के संज्ञान में लायेंगे तथा म.प्र. गौण खनिज नियम के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित् करेंगे तथा सिया को अवगत करायेंगे।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.6 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रू. में)
गांव बरथून के शासकीय प्राथमिक विघालय में अधोसंरचना विकास हेतु वितिय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।	60,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2,100 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, सीताफल, पीपल, करंज, आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, सफेद कस्टार, सिस्सु आदि।	450
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 1.5 मीटर ट्री–गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि।	750
	ग्राम भीमाखेड़ी के सरकारी प्राथमिक विद्यालय भवन प्रांगण में लगाये जायेंगें।	गुलमोहर, नीम, आदि।	70

	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल आदि।	830
योग			2,100
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			
		कुल	2,100

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

8. <u>Case No 10306/2023 Shri Varun Tiwari, Lessee, R/o Singrauli, Tehsil & District-Singrauli (MP)-486889 Prior Environment Clearance for Chatri Soil Quarry in an area of 1.76 ha. (3292 cum per year) (Khasra No. 1711, 1712, 1718), Village-Chatari, Tehsil-Chitrangi, District-Singrauli (MP)-DEIAA TO SEIAA.</u>

प्रस्तावित खदान समिति की 697वीं बैठक दिनांक 23/11/2023 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें –

- समिति ने परीक्षण उपरांत पाया कि पूर्व प्रदाय डिया की पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा मात्र 120 वृक्ष लगायें है।
- खदान के चारों ओर फेन्सिग भी नहीं पाई गई।
- सी.ई.आर. संबंधी किये गये कार्यो की दस्तावेज।

अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार को निर्देश दिया कि **कार्यो की दस्तावेज, व्यय, फोटोग्राफ संशोधित फार्म–1 सहित प्रस्तुत करें तब उनके प्रकरण पर विचार किया जायेगा ।**

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्ताव ने दिनांक 27/02/2024 को प्रस्तुत कर दी गई है, जिसमें समिति समक्ष आज दिनांक 22/04/2024 को प्रस्तुतीकरण हेतु रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री वरूण तिवारी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री एस.आई तनवीर, मे0. अल्ट्रा टेक, थाणे (महाराष्ट्र) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

समिति द्वारा प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के प्रारम्भ में पर्यावरणीय सलाहकार से पूछने पर ज्ञात हुआ कि उनके यहॉ से स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है। अतः समिति ने निर्देश दिये कि खदान क्षेत्र का एवं

आस–पास के क्षेत्र का स्थल निरीक्षण कर जियोटेग फोटोग्राफ के साथ प्रस्तुत करें। तदुपरान्त प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

9. <u>Case No 10837/2023 Shri Vikram Singh, Lessee, R/o Village-Dhablasiya, Tehsil-Mahidpur, District-Ujjain (MP)-456441, Prior Environment Clearance for Ranayrapeer Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (7980 cum per year) (Khasra No. 1237), Village-Ranayara Pir, Tehsil-Mahidpur, District-Ujjain (MP)</u>

प्रकरण आज सेक की 711वीं बैठक दिनांक 09/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 22/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Vikram Singh, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर, उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज**	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri VIKRAM SINGH, Lessee, R/o Village Dhablasiya, Tehsil Mahidpur ,District Ujjain (M.P)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1237/2 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 hectare.
स्थल	ग्राम RANAYARA PIR तसहील Mahidpur जिला Ujjain (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	लीज अनुबंध दिनांक 22/12/2016.	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया द्वारा जारी ई. सी. का विवरण (यदि लागू हो)	DEIAA Ujjain EC issued vide letter No. 2305 dated 16/10/2017.	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–7,980 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–7,980 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3058 दिनांक 23/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3058 दिनांक 23/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250	

	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3058 दिनांक 23/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रणायरा पीर जिला उज्जैन के पत्र दिनांक 21/11/16 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing- No
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र की उत्तर पूर्व दिशा एवं दक्षिण पश्चिम दिशा की सीमा से पक्का रोड लगा हुआ है एवं उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 155 मी. की दूरी पर एक नहर निकल रही है। दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 163 मी. की दूरी पर एक नाला निकल रहा है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3058 दिनांक 23/08/23 अनुसार उक्त खदान को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

समिति ने परीक्षण उपरान्त पाया कि लीज क्षेत्र की उत्तर पूर्व दिशा एवं दक्षिण पश्चिम दिशा की सीमा से पक्का रोड लगा हुआ एवं प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है । अतः निर्धारित स्थानवार दूरी छोड़ने पर लीज एरिया खनन योग्य शेष नहीं बचता।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त स्थिति में बैठक के दौरान अनुरोध किया गया कि उक्त खनन कार्य रॉक ब्रेकर पद्धति से किया जाना प्रस्तावित है एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक इस्तमाल न करते हुये रॉक ब्रेकर का का इस्तमाल किया जावेगा।

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि रॉक ब्रेकर से बिना किसी विस्फोटक के उपयोग से यदि तकनीकी रूप से तथा व्यवहारिक रूप से खनन किया जाना संभव हो तो इस पर खनिज अधिकारी परीक्षण कर माईनिंग प्लान में आवश्यक संशोधन करेंगें एवं इस बात का विशेष रूप से खनिज अधिकारी ध्यान रखेगें कि क्या बिना ब्लास्टिंग के खनन कार्य किया जाना संभव है अथवा नहीं, तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में बिना किसी ब्लास्टिंग के खनन कार्य किये जाने की सुनिश्चितता की जानकारी खनिज अधिकारी की होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के बाहर लगाये जाने वाले बोर्ड पर अन्य जानकारी के साथ बड़े–बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखा हो, उक्त आशय का उल्लेख सुनिश्चित किया जावेगा।

समिति ने चर्चा उपरांत परियोजना **प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रॉक ब्रेकर का संशोधित माईनिंग प्लान कार्यवाही विवरण जारी होने की दिनांक से 01 माह के अन्दर परिवेश पोर्टल अपलोड करने हेतु एडीएस जारी करें ।**

10. Case No 10898/2023 Shri Prakash Tarodiya, Lessee, R/o Village-Bidwai, Tehsil-Badnawar, District-Dhar (MP)-454665, Prior Environment Clearance for Khuntpala Stone (Gitti) Quarry in an area of 2.00 ha. (19400 cum per year) (Khasra No. 507), Village-Khatpala, Tehsil-Sardarpur, District-Dhar (MP)

प्रकरण समिति 715वीं बैठक दिनांक 19/01/2024 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 22/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Prakash Tarodiya, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर, उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri PRAKASH TARODIYA, Lessee, R/o Village Bidwal,Tehsil Badnawar,District -Dhar (M.P)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	507 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 hectare.
स्थल	ग्राम KHATPALA तसहील एवं जिला Dhar (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक 137 दिनांक 24/01/17 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	

डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया धार के पत्र क्रमांक 45 दिनांक 25/03/18 के द्वारा पत्थर–19,400 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–19,400 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–19,400 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2317 दिनांक 03/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य स्टोन खदान स्वीकृत है, जिसका रकबा 2.00 हे. और 01 अन्य खदान मुरम की स्वीकृत है, जिसका रकबा 4.00 हे., की है, जो सदृश खदान नहीं होने के कारण कलस्टर में गणना न करते हुए सदृश खदानों का कुल 04.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2317 दिनांक 03/11/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2317 दिनांक 03/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/ स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा/बांध/नहर/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खुटपला जिला धार के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–9 दिनांक 26/01/16 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing - No
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– कुछ मकान लगभग 288 मी. एवं 400 मी. पर आबादी है, खदान के उत्तर दक्षिण दिशा से हालेज रोड निकल रही है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–29 के सरल क्रमांक–21 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि परिवेश पोर्टल पर जो गूगल इमेज अपलोड़ है उसके आक्षांश'देशांश का मिलान माईनिंग प्लान/डीएसआर के आक्षांश'देशांश से नही होता

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज अधिकारी से प्रमाणित कराकर संशोधित आक्षांश'देशांश प्रस्तुत किये जायेंगें।

11. <u>Case No 10577/2023 Shri Surendra Jain, Lessee, Panjreh Bazar, District-Singrauli (MP)-486001, Prior Environment Clearance for Misiragawan Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (18628 cum per year) (Khasra No. 1128), Village-Misigawan, Tehsil-Chitrangi, District-Singrauli (MP).</u>

प्रकरण सेक की 691वीं बैठक दिनांक 18/10/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये ।

प्रस्तावित खदान का सेक की 704वीं बैठक दिनांक 19/12/23 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Surendra Jain, Lessee** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री एस.आई. तनवीर मे0. अल्ट्रा टेक, थाणे (महाराष्ट्र) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज**	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	**Shri Surendra Jain, Lessee, Panjreh Bazar, District-Singrauli (MP)-486001,** *Prior Environment Clearance for Misiragawan Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (18,628 cum per year) (Khasra No. 1128), Village-Misigawan, Tehsil-Chitrangi, District-Singrauli (MP)* **[438856] [DEIAA].**	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.–1128,	एरिया– 2.00 ha., निजि भूमि,
परियोजना स्थल	ग्राम– मिसीगांव, तहसील – चितरंगी, जिला– सिंगरौली, (म.प्र.).	
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. दिनांक 25/09/2015.	
परियोजना की श्रेणी	बी–2.	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	Short Hole Blasting (As per Parivesh Portal).	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	DEIAA Singrauli EC issued vide letter No. 105 dated 24/05/2016.	
उत्पादन क्षमता	**स्टोन – 18,628** घन मी/वर्ष।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2385 दिनांक 30/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 02.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	

विवरण।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2385 दिनांक 30/06/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2385 दिनांक 30/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/**नगर निगम की अनुमति**	ग्राम पंचायत– मिसीगांव, जिला – सिंगरौली का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 16 दिनांक 16/08/2023 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान के दक्षिण पश्चिम की ओर वृक्ष आच्छादित हैं ।
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	लीज क्षेत्र के पश्चिम सीमा से हालेज रोड निकल रही है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–32 के सरल क्रमांक – 43 पर दर्ज है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तों के कम्प्लाइन्स एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण उपरांत पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में कार्य करते हुए डिया ई.सी. में जारी शर्तों का पूर्ण रूप से सम्पादन नहीं किया है। अतः परियोजना प्रस्तावक को निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी मय फोटोग्राफ एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्ताव परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत कर दी गई है, जिसमें समिति समक्ष आज दिनांक 22/04/2024 को प्रस्तुतीकरण हेतु रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री एस.आई तनवीर, मे0. अल्ट्रा टेक, थाणे (महाराष्ट्र) उपस्थित हुए ।

समिति द्वारा प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के प्रारम्भ में पर्यावरणीय सलाहकार से पूछने पर ज्ञात हुआ कि उनके यहॉ से स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है। अतः समिति ने निर्देश दिये कि खदान क्षेत्र का एवं आस–पास के क्षेत्र का स्थल निरीक्षण कर जियोटेग फोटोग्राफ के साथ प्रस्तुत करें। तदुपरान्त प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

12. Case No 8623/2021 Shri Samuel Vasanthan, R/o, House No. 391/5, Green Garden, L-Block, Anna Nagar East, Dist. Chennai, Tamil Nadu. Prior Environment Clearance for Granite Quarry in an area of 7.50 ha. (3600 cum per annum) (Khasra No. 14, 15/1), Village - Madkheda, Tehsil - Mohangarh, Dist. Tikamgarh (MP)

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 690वीं बैठक दिनांक 17/10/2023 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई । प्रस्तुतीकरण के पश्चात समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी मय संबंधित दस्तावेजों के प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है :–

1. क्षेत्र का हाइड्रो जियोलॉजिकल डेटा।
2. ओवर बर्डन एवं टॉप साईल प्रबंधन दर्शाते हुए ले–आउट मेप।
3. निकटतम नाला/नदी से गाईडलाईन अनुसार सेटबैक के साथ पुर्नरीक्षित अनुमोदित सर्फेस प्लान।
4. निकटतम सड़क से गाईडलाईन अनुसार सेटबैक के साथ पुर्नरीक्षित अनुमोदित सर्फेस प्लान।
5. लीज क्षेत्र में लगे हुये वृक्षों की पुर्नरीक्षित इन्वेन्ट्री।
6. वृक्षों की प्रजातियां, संख्या एवं वृक्षारोपण हेतु चिन्हित स्थल की जानकारी के साथ विस्तृत प्लान्टेशन स्कीम।
7. लीज क्षेत्र एवं आस–पास की विस्तृत साईल प्रोफाईल।
8. क्षेत्र हेतु पी.एम 2.5 का बैकग्राउण्ड डेटा।
9. स्कूल एवं स्वास्थ्य विभाग हेतु पुर्नरीक्षित सी.ई.आर. प्लान।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है, जो आज दिनांक 18/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक/उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा।

प्रकरण समिति की आज दिनांक 22/04/24 को पुनः प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध हुआ, जिसमें परियोजना प्रस्तावक Shri Samuel Vasanthan एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राहुल शर्मा मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्यूशन, नोएड, उ.प्र. द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

PP submitted following points:

- Hydro geological data of the area through EE, PHE Department, Tikamgarh Letter no. 2683 dated 02.11.2023 wherein mentioned that GW table data as Pre-monsoon – 35.66 m & post monsoon – 31.16m . So that the depth of mining is 27 meter from bgl, which is above the water level which is 31 meter to 35 meter bgl. Hence there is no ground water intersection

- The Mining will be started from the southern side of the proposed lease Area, initially the overburden will be dumped in the Northern part of the lease area shown in plate and ultimately it will be proposed for reclamation of the project site.
- Area of Dump is 1.48 ha , 0.94 along the lease boundary and 0.54 along the northern part of the lease.
- Height of the Dump is 3 Meter ,
- Top Soil Management: Top soil generated will be used for plantation in the 7.5 meter barrier zone.
- A Seasonal nallah is passing at a minimum distance of 50 meter from the project site. We will also do the mining after leaving a safety distance of 7.5 meter from the barrier zone.(As per Prescribe limits of MMR Rule, 1996, NGT and MoEF & CC the prescribed limit for Nallah is 50 meter.)
- **A Pakka Road is passing near the is passing at a minimum distance of 50 meter from the project site. we will also do the mining after leaving a safety distance of 7.5 meter from the barrier zone. so the approx distance from the project site is 50.39 meter.**
- PP also submitted - Detailed plantation scheme with information on number of tree species and stalls marked for tree plantation, Detailed soil profile of lease area and surrounding areas, Physicochemical Characteristics of Soil , Background data of PM 2.5 for the region, Revised CER Plan for School and Health Department

उपरोक्त बिन्दुओं का परीक्षण करने पर समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा निकटतम सड़क से गाईडलाईन अनुसार सेटबैक 100 मी. प्रस्तावित किया है।

Durig presentation PP submitted that :

1. That the mining will be done upto depth of 27 meter BGL. Nearest ground water level is 33 m BGL. Hence there will be 6 meter gap between ultimate pit depth and ground water level. We will not exceed the limit of 27-meter BGL. There is no ground water intersection during mining operation.

2. Updated reserve after leaving 1 meter thickness of granite (Under 121 Category)
   Area(Sqaure meter) x Depth (Meter) x recovery = Volume (cum)
   61932 sqmx 1 m x 0.15= 9289.8 cum
   Hence updated reserve
   250824 cum- 9289.8 cum= 241534.2 cum (After leaving 1 thickness)

3. No blasting will be done in the lease area.

738वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 अप्रैल 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता ग्रेनाईट–3600 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 17.20 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 7.70 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रू. में)
नकटतम विद्यालय के प्रयोगशाला में उपकरण खरीदने हेतु राशि दी जावेगी।	1,50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 9100 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

Plant Species for Mine Area, Transportation Road And Village Distribution			
Phase	**Location**	**Name of Tree/shrub/ Herbs**	**No. of Plants**
1st year	In barrier Zone, within lease area	Neem, Jungle Jalebi, Siras Kala, Karanj, Chirol, Khamer, Sissoo, and other local species	1200
1st year	Along transport route	Neem, Peepal, Siras Kala, Karanj, Chirol, Khamer, Sissoo, and other local species	400
1st - 2nd year	Distribution of sapling to local villagers	Guava, Mango, Kathal, Nimbu, Munga and local species	7300
1st year	For uprooted trees	Neem, Jungle Jalebi, Siras Kala, Karanjand local species	200
Total No. of Plants			**9100**

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

13. Case No 10660/2023 Shri Ajay Singh Parmar, Partner and Authorized Signatory, M/s Khajuraho Minerals Limited, 6 km, Sagar Road, Dhadari, District-Chhatarpur (MP)-471001, Prior Environment Clearance for Khera Majora Pyrophyllite Mine in an area of 4.650 ha. (99237 TPA) (Khasra No. 306P), Village-Khera majrora, Tehsil-Buxwaha, District-Chhatarpur (MP), DEIAA to SEIAA.

प्रस्तावित खदान का समिति की 695वीं बैठक दिनांक 21/11/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें पाया गया कि –

1. प्रकरण को पूर्व में ईसी क्रमांक 861 दिनांक 26/8/2016 को जारी हुई थी ।
2. ई.सी. की शर्त न. 12 में पौधारोपण की शर्त थी माईन प्लान के पृष्ठ क्रमांक 6 के अनुसार लीज एरिया के बाहर 200 पौधे लगाये जाने का प्रावधान था वे पौधे कहा लगाये गये वहा का भूमि उपयोग (land use) क्या है ।
3. अनुमोदित खनन् योजना के पृष्ठ क्रमांक 23 के अनुसार कुल 0.62 हे. में ग्रीन बेल्ट करने का प्रावधान था जबकि पृष्ठ क्रमांक 6 के अनुसार वृक्षारोपण स्थान अनुउपयोगी बताया गया है परन्तु 0.62 हे. में ग्रीन बेल्ट दर्शाया गया है जो कि विरोधावासी पाया गया है अतः इन बिंदुओ को स्पष्ट करे।
4. 200 पौधे लगाये जाने थे वह कहां लगाये गये फार्म–1 में ग्रीन बेल्ट के अंतगर्त 0.62 हे. में 5400 पौधे लगाये जाने का उल्लेख है, परन्तु माईनिंग प्लान में 4000 पौधे लगाये जाने का उल्लेख है ।
5. फार्म–1 में 0.62 हे. 5400 पौधे प्रस्तावित किये गये यह रोपण संभव नही है । साथ माईनिग प्लान के पेज न. 6 में ग्रीन बेल्ट पथरीला होने के कारण संभव होना नही बताया गया है अतः फार्म–1 दिये बैरियर जोन में पौधो के संख्या स्पष्ट की जाये ।
6. सीईआर की गतिविधि बिन्दु क्रमांक 17 पर प्रस्तावित स्थल आस–पास लोगे के लिये हेल्थ केंप कराये जाने का उल्लेख है परन्तु इसे स्पष्ट नही किया गया है ।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात यह पाया गया कि उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिलास्तरीय समिति विदिशा द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के कम्प्लाइन्स एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अतः विशेषज्ञ समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को अतः परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त तथ्यों को स्पष्ट करते हुए डिया प्रकरणों के निर्धारित बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी मय फोटोग्राफ एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया ।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/02/24 प्रस्तुत कर दी गई है, प्रकरण समिति की आज दिनांक 22/04/24 को पुनः प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध हुआ, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अजय सिंह परमार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संजय सिंह, मेसर्स Aplinka Solutions & Technologies Private Limited, Noida (U.P.) और उनके द्वारा समिति के समक्ष उपस्थित हुये।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	planted 185 trees in the 7.5 m barrier zone.
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
अपलोडेड गूगल इमेज के अनुसार संवेदनशील बिन्दु	दक्षिण पूर्व दिशा – नाला लगभग 168 मी.
पौधारोपण की स्थिति	The plantation of 200 trees have been done outside ML area near the site office. The plantation photographs and its Google image is hereby furnished. The inventory of the trees is also tabulated. The land use of the area is waste land. The total area is 2.331 ha and the number of fully grown tree is 200. No tree falling is proposed.
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	The CSR activities such as organization of medical camp, financial aid for school development, water supply in public functions and marriages during summer seasons, and plants distribution have been conducted in coordination of Gram Panchayat and as per their requirement. The Gram Panchayat letter and concerned

	person/official letter stating about CER work conducted is Presented with photographs .
: Lease agreement details with compliance of LRC provisions	The mine lease area is part of Forest Compartment No P-306 in Forest Block – Khera Majora Division & District-Chhatarpur. The forest clearance granted vide letter No. 6-MPC020/2005/- BHO/519 dated 11/03/2008. We have deposited required amount of forest land NPV, Non forest land premium value and compensatory afforestation. As per the forest clearance letter requirement compensatory afforestation has been done by forest department over 4.650 ha area, Khasara number 1420/1, Gram-Salaiya, Tehsil- Rajnagar, Distt chhatarpur and the area has been declared as reserve forest.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 99,237 TPA ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 3.88 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 7.77 लाख प्रति वर्ष ।
3. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।
4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
5. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
6. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।

7. लीज क्षेत्र से खेत लगे हुए है, अतः वहॉ अस्थाई सरंचना की कर्टेनवाल बनाई जाये एवं जिसे खनन् की दिशा में समय–समय पर प्रतिस्थापित किया जा सके, जिससे खनन् से उत्पन्न होने वाली धूल से कृषि प्रभावित न हो ।
8. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें एवं प्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।
9. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.5 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

Corporate Social Responsibility			
S NO.	**ACTIVITIES**	**AREA OF IMPLEMENTATION**	**BUDGET (In Rs.)**
1.	SUSTAINABLE LIVELIHOOD		
a	Provide employment to the 40 local villagers (including direct form). The payment to the workers will be done as per the minimum wages Act into the bank accounts preferably.		
b	Distribution of solar lamp/ solar cooker	Khera Village	25000
c	Aid for computer with printer	Primary School of Hatna	25000
2.	INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT		
a	Maintenance of boundary wall or play ground maintenance of primary	Primary school, Darguwa Village	25000
b	Maintenance of village road.	Khera Village	25000
3.	HEALTH		

a	Health camp organization	Khera Village & Hatna	50000
	Total	**-------**	**1,50,000 Lakh**

10. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 5615 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

Table-2.1

S. No	Location	Name of Tree/shrub/ Herbs	Total
1.	Barrier Zone	Neem, jungle jalebi, Siris Kala, Siris Safed, Karanj, Chirol, Khamer, Sissoo,Pipal, Sagwan, Arjun, Mahua, Bel, and local species	515 [total 700 out of it 185 has been planted]
2.	Back filled Area	Neem, Karanj, Pipal, Bargad and local species	4000
3.	Along transport route (1 meter height plant with tree guard)	Neem, Peepal, Siris Kala, Karanj,Chirol,Khamer, Sissoo, Bargad, Sangwan and other local species	500
4.	Plant distribution	Guava, Mango, Neem,Amla, Kathal, Nimbu, Munga, Shisham , Anar, Santra, and local species distribution	600
	Total		**5615**

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

14. <u>Case No 10659/2023 Shri Ajay Pal Singh Parmar, Partner and Authorized Signatory, M/s Khajuraho Minerals Limited, 6 km, Sagar Road, Dhadari, District-Chhatarpur (MP)-471001, Prior Environment Clearance for Garhi (Malhara) 3 Pyrophyllite & Diaspore Mine in an area of 2.791 ha. (5396 TPA) (Khasra No. 303, 304, 305/2, 306), Village- Garhi, Tehsil-Maharajpur, District-Chhatarpur. DEIAA to SEIAA.</u>

प्रस्तावित खदान समिति की 695वीं बैठक दिनांक 21/11/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया कि फार्म–1ए में जो जानकारी दी गई है उसमें विसंगतियां है अतः माईनिंग प्लान में जो डेटा दिये उनको फार्म–1 में समाहित कर प्रस्तुत करे।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात यह पाया गया कि उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिलास्तरीय समिति विदिशा द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के कम्प्लाइन्स एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अतः विशेषज्ञ समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को अतः परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त तथ्यों को स्पष्ट करते हुए डिया प्रकरणों के निर्धारित बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी मय फोटोग्राफ एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया ।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 22/04/24 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अजय सिंह परमार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संजय सिंह, मेसर्स Aplinka Solutions & Technologies Private Limited, Noida (U.P.) और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तो का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित र्तो की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति

लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	लगभग फैंसिंग पाई गई है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	Out of 950 trees to be planted till Conceptual period, 300 tree [25%] were planted till year 2022-23 and additional 100 trees have been planted during current FY 2023-24. Plantation work has been done in 7.5 m barrier zone of ML area. Besides this, plantation has been done outside ML area along with transportation route. Plantation photographs with its Google image shown.
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	The garland drain has been constructed around mine lease connected to settling tank. The details are as under:- Settling tank – 10.0 m x 5.0 m x 2.0 m [1 settling tank]• Sump-30 m x 20m x 3m = 1800 cum• Garland Drain - 100 m x 1m x 0.5m= 50 cum•
ओवर वर्डन डमप की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र के अन्दर डम्प नहीं पाया गया।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	The CSR activities such as organization of medical camp, financial aid for school development, water supply in public functions and marriages during summer seasons and plant distribution have been conducted in coordination of Nagar Parishad and as per their requirement. The Nagar Parishad letter and concerned person/official letter stating about CER work Presented.
कोई अन्य शर्त	Plants has been distributed under CER. The plants distribution

	photographs along with List with name of villager's, mobile number and number of plant is furnished
अपलोडेड गूगल इमेज के अनुसार संवेदनशील बिन्दु	पश्चिम दिशा– पक्का रोर्ड 468 मी.एवं लीज क्षेत्र में कुछ पेड़ हैं।
No dumping has been done. The waste Generated has been used for preparation of Bund in Boundary, Road Maintenance and Plantation.	

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 5396 टीपीए ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 2.40 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 4.26 लाख प्रति वर्ष ।
3. **डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तो का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।**
4. **खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।**
5. **म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।**
6. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.5 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

S. No	Activities	Area of implementation	Budget (Rs.)
1	Development of Infrastructure in Malhara College	Malhara	1,50,000/-

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3390 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

S. No	Location	Name of Tree/shrub/ Herbs	Total
1.	Barrier Zone	Neem, jungle jalebi, Siris Kala, Siris Safed, Karanj, Chirol, Khamer, Sissoo,Pipal, Sagwan, Arjun, Mahua, Bel, and local species	950 [out of it 350 has been planted]
2.	Back filled Area	Neem, Karanj, Pipal, Bargad and local species	840
3.	Along transport route (Outside ML area- 1m height plant with tree guard)	Neem, Peepal, Siris Kala, Karanj,Chirol,Khamer, Sissoo, Bargad, Sangwan and other local species	600 [out of it 200 has been planted]
4.	Plant distribution at village Garhi, Malhara	Guava, Mango, Neem, Amla, Kathal, Nimbu, Munga, Shisham , Anar, Santra, and local species distribution	1000 (331 already distributed)
Total			3390

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव/मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

15. <u>Case No 10819/2023 Shri Arvind Shukla, Lessee, R/o Pansemal, District-Barwani (MP)-451770, Prior Environment Clearance for Baljhiri Stone Quarry in an area of 0.933 ha. (3880 cum per year) (Khasra No. 165/3, 165/4), Village-Baljhiri, Tehsil-Pansemal, District-Barwani (MP). DEIAA case .</u>

738वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 अप्रैल 2024

प्रस्तावित का समिति की 710वीं बैठक दिनांक 05/01/2024 को प्रस्तुतीकरण हुआ था ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri ARVIND SHUKLA, Lessee, R/o-Pansemal Barwani, District- Barwani (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	165/3, 165/4 (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड परियोजना प्रस्तावक स्वयं की)	0.933 hectare.
स्थल	Village Baljhiri, Tehsil Pansemal, District Barwani (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बडवानी के पत्र क्रमांक 823 दिनांक 11/08/16 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया बड़वानी के पत्र पृ. क्रमांक 32 दिनांक 31/05/16 के द्वारा पत्थर–3,880 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–3,880 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–3,880 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2461 दिनांक 01/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2461 दिनांक 01/11/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2461 दिनांक 01/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बालझिरी जिला बड़वानी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–11 दिनांक .7/10/14 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।	

प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing- No
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	**उत्तर पूर्व दिशा–आबादी लगभग 35 मी.**
	दक्षिण पश्चिम दिशा–प्राकृतिक नाला लगभग 50 मी. एवं आबादी लगभग 235 मी.
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–52 के सरल क्रमांक–36 पर दर्ज है ।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया :–

1. **क्रेशर की लोकेशन दर्शातें हुये पुर्नरक्षित सरफेस मेप में प्रस्तुत करें।**
2. **ग्राम सभा की वर्तमान एनओसी प्रस्तुत करें।**
3. **सक्षम विभाग से अनुमोदित कराकर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत करें।**

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 22/04/24 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक Shri Arvind Shukla, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

- PP submitted that - approved Modified Mining Scheme approved by Regional Head, DGM, Indore in which Non blasting details is given in page No. 13 of the Modified Mining Scheme and page no. 18 of this document Pdf.
- Location of the crusher has not been marked on the Surface map because crusher is not installed and proposed in the Mine Lease area.
- Gram sabha NOC vide letter no.125, dated 26.02.2024.

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तो का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति

लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	फेन्सिग लगभग 30 प्रतिशत।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण है
ओवर वर्डन डम्प की वर्तमान स्थिति	–
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सड़क में मरम्मत आदि कार्य किये गये है।
कोई अन्य शर्त	–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 3880 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 4.12 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.72 लाख प्रति वर्ष ।
3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नही है, अतः लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नही दी जा सकेगी।
4. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
5. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नोटिस बोर्ड लगाकर सूचना लिखी जावेगी कि लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है।
7. **डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तो का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।**
8. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
9. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.36 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रू.में)

ग्राम साईखेड़ी में स्थित शासकीय विद्यालय प्रयोगशाला विकास हेतु पालक शिक्षा संघ में उल्लेखित राशि भू प्रवेश मिलने के 3 माह के भीतर जमा करवा दी जावेगी।	36,000/-

10. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 900वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	कटहल, आंवला, सीताफल, गुआवा, आमए हाइब्रिड मुनगा, महुआ अचार आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	385 पौधे
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 1.5 मीटर ट्री–गार्ड के साथ)	नीम, सिस्सू, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री–गार्ड के साथ	140 पौधे
3	ग्राम के आंगनवाड़ी केन्द्र में वृक्षारोपण	पुत्रंजीवा, मोलश्री, सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	50 पौधे
4	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	325 पौधे
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव/मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

16. <u>Case No 10860/2023 Manju Singh, Proprietor, R/o Bamhangawan, Tehsil-Raghurajnagar, District-Satna (MP)-485001, Prior Environment Clearance for Hariharpura Laterite Mine in an area of 2.236 ha. (40000 TPA) (Khasra No. 665/1 (Govt.Land) and 824, 826, 827, 829), Village-Hariharpur, Tehsil-Birsinghpur, District-Satna (MP).</u>

प्रस्तावित लेटेराईट खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसे सेक की 713वीं बैठक दिनांक 11/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक मंजु सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया था।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	MANJU SINGH, Proprietor, R/o- Bamhangawan, Tehsil-Raghurajnagar, District- Satna (M.P.)-485001	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	824, 826, 827, 829 (Pvt.land&Govt Land), (नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.236 hectare.
स्थल	Village- Hariharpur, Tehsil- Birsinghpur, District- Satna, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 3–6/2019/12/1 दिनांक 26/08/19 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Laterite-40,000 TPA हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Laterite-40,000 TPA है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2043 दिनांक 18/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में	

	अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2043 दिनांक 18/10/23 अनुसार अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2043 दिनांक 18/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हरिहरपुर जिला सतना प्रस्ताव क्रमांक–8 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज एरिया के बैरियर जोन में 01 सुबबूल है, 01 बबूल जिसको नहीं काटा जायेगा ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति ;खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों (जैसे प्राकृतिक नाला, नदी की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को के साथ प्रस्तुत करें ।	• उत्तर पूर्व दिशा में प्राकृतिक नाला 16 मीटर पर • 34 मीटर का सेटबैक देते हुए पुनरीक्षित सरफेस मैप प्रस्तुत किया गया है • दक्षिण दिशा में 4 मीटर पर कच्चा रोड–45 मीटर का सेटबैक देते हुए पुनरीक्षित सरफेस मैप प्रस्तुत किया गया है पश्चिम दिशा– में 80 मीटर पर हेबिटेशन • 20 मीटर का सेटबैक देते हुए पुनरीक्षित सरफेस मैप प्रस्तुत किया गया है
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 184 दिनांक 14/01/22 अनुसार उक्त नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ी जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश

	की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परीक्षण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत के.एम.एल. फाईल का माईनिंग प्लान के कार्डिनेट से मिलान नहीं होता है, अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित खदान क्षेत्र के तथ्यात्मक कार्डिनेट प्रस्तुत करें तदुउपरांत प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 22/04/24 को रखा गया, जिसमें पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्वेरी के संबंध में उनके द्वारा कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला सतना का पत्र क्रमांक 312 दिनांक 09/02/2024 पत्र प्रस्तुत किया जिसके द्वारा स्वीकृत खनिज लेटेराइट खनिपट्टा क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे किये जाने के बाद जियो रिफ्रेंसिंग विवरण एवं केडस्टल मेप की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्राकृतिक नाला कच्चा रोड एवं आबादी होने की वजह से निर्धारित मापदण्ड अनुसार सेटबेक छोड़ा गया है अतः गैर खनन क्षेत्र 1.046 हे. एवं खनन योग्य क्षेत्र 1.19 हे. क्षेत्र उपलब्ध होता है जो प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के लिये उपयुक्त है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता लेटेराईट 40,000TPA
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 17.28 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 6.13 लाख प्रति वर्ष।

क्षतिपूर्ति के संबंध मेंः–

- म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियो को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।

- म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तो का पालन भू–प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।

3. संशोधित सरफेस मेप का समावेश खनन् योजना में भू–प्रवेश के पूर्व कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
4. संशोधित सरफेस मेप जो परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया है । यदि इससे उत्पादन में परिवर्तन होता है, उसको भी संशोधित माईन प्लान में समावेश किया जावे ।
5. जिला खनिज अधिकारी मौके पर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप के अनुरूप खनन् कार्य किया जावेगा ।
6. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेगें कि संशोधित सरफेस मेप/संशोधित माईन प्लान के अनुरूप खनन् कार्य हुआ है।
7. यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित जिला कलेक्टर के संज्ञान में लायेंगे तथा म.प्र. गौण खनिज नियम के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित् करेंगे तथा सिया को अवगत करायेंगे ।

8. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि (रू.में)
ग्राम हरिहरपुर के शासकीय प्राथमिक शाला में 1 कम्प्यूटर, 1 प्रिंटर, 1 अलमारी दिया जाएगा	80000/-

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2700 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन और गैर खनन योग्य क्षेत्र	इमली, कटहल, आम, अमरूद, बेल, जामुन एवं अन्य फलदार स्थानीय प्रजातियॉ	700 300
2	परिवहन मार्ग	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज,एवं कुसुम अन्य स्थानीय प्रजातियॉ, ।	100

3	हरिहरपुर ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद।	1880
4	शासकीय विद्यालय हरिहरपुर में	कचनार, पुत्ररंजीवा, मौलश्री और कुसुम अन्य सजावटी पेड़ इत्यादि।	20
गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें लीज अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव/मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

17. <u>Case No 10694/2023 Pooja Agarwal, Owner, 1204, State Bank Colony, Depo No. 2, Post-Hathital, District-Jabalpur (MP)-482002, Prior Environment Clearance for Harduwa Kalan Ochre, Laterite & Clay Mine in an area of 4.79 ha. (81599 TPA) (Khasra No. 1616), Village-Hardua, Tehsil-Majholi, District-Jabalpur (MP)-B2.</u>

प्रस्तावित खदान समिति की 698वीं बैठक दिनांक 07/12/2023 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गई थीः–

- प्रजाति–वार रूट स्टाक की जानकारी
- ग्राम पंचायत हरदुआकलां जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव की प्रति प्रस्तुत करें।
- इकोलॉजिकल लॉस (फलोरा एण्ड फाउना) की स्टडी मान्यता प्राप्त संस्थान से करवा कर प्रस्तुत करें।
- उत्सर्जित कार्बन के आधार पर कार्बन फुट प्रिंट की जानकारी प्रस्तुत करें।
- माईनिंग गतिविधि के द्वारा कृषि भूमि पडने वाले दूषप्रभावों के अध्यन प्रस्तुत करें।
- समिति द्वारा सुझाायें अनुसार पुर्नरीक्षित पौधा रोपण स्कीम ।
- तथ्यों के आधार पर पुर्नरीक्षित सीईआर।

उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 22/04/24 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक सिद्धार्थ चोपडा अधिकृत प्रतिनिधि एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संजय सिंह, मेसर्स Aplinka Solutions & Technologies Private Limited, Noida (U.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 81599 TPA ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 17.75 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 4.79 लाख प्रति वर्ष ।
3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 2.0. लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि (रू.में)
Donation for development of school infrastructure (Boundary wall, furniture, ceiling fans, table, chairs and Mats etc) Village Hardua Kalan	2,00,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

Period	**Location**	**Name of Tree/shrub/ Herbs**	**Total**
During 1st Year	Barrier Zone	Neem, jungle Jalebi, Siris kala, Karanj, Chirol, Khamer, Sissoo, Siris Safed, Pipal, Sangwan, Arjun, Mahua, Bel etc	2500

During 1st Year	Along transport route (1.5 meter height plant with tree guard)	Neem, Peepal, Karanj, Bargad	500
2nd year to Lease Period	Community Plantation & Plant distribution	Guava, Kathal, Nimbu, Munga, Amla, Sitafal, Aam, Anar and local species distribution	3000
N.B. – Causality replacement of trees will be done within 2 years and nurturing of plants will be done till lease period			6000
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव/मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

18. Case No 10878/2023 Shri Umesh Jat, Lessee, R/o Nai Abadi, Unhel, Tehsil-Nagda, District-Ujjain (MP)-456221, Prior Environment Clearance for Doomaheda Stone Deposit in an area of 2.00 ha. (5035 cum per year) (Khasra No. 1081/1), Village-Dhoomaheda, Tehsil-Nagda, District-Ujjain (MP)

प्रकरण आज सेक की 714वीं बैठक दिनांक 18/01/2024 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक/उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 22/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Umesh Jat, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर, उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक	Shri UMESH JAT, Lessee, R/o- Nai Abadi, Unhel, Tehsil- Nagda, Dist.-

738वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 अप्रैल 2024

का नाम व पता	Ujjain (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1081/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 hectare.
स्थल	ग्राम Dhoomaheda तसहील Nagda जिला Ujjain (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 12519 दिनांक 16/11/17 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया उज्जैन के पत्र क्रमांक 31 दिनांक 05/10/18 के द्वारा पत्थर–5035 घनमीटर वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–5,035 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–5,035 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3057 दिनांक 23/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3057 दिनांक 23/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3057 दिनांक 23/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसेः रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत धुमाहेड़ा जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 13 दिनांक 06/06/17 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य की अनुशुंसा की गई है ।	
प्रस्तावित स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing - No	
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व दिशा में एक गढ्ढा है जिसमें जल भरा है इस संबंध में 50 मी. का सेटबेक छोड़ा गया है।	

वर्तमान स्थिति	पश्चिम दिशा– पक्का रोड लगभग 485 मी. दक्षिण पश्चिम दिशा– एचटी लाईन लगभग 65 मी.
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के के सरल क्रमांक–28 पर दर्ज है ।

परियोजना प्रस्तावक ने प्रस्तुतीकरण के दौरान अवगत कराया कि खनिज अधिकारी के पत्र क्रमांक 1378 दिनांक 16/04/2024 के द्वारा खदान क्षेत्र के संशोधित कोर्डीनेट प्राप्त किये गये हैं।

समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 5035 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 18.18 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 4.35 लाख प्रति वर्ष ।
3. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।

4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
5. लीज क्षेत्र के उत्तर दिशा में खेत लगे हुये है। अतः 25 मी. का सेट बैक छोड़ते हुए खनन कार्य करना सुनिश्चित करेगें।
6. लीज क्षेत्र से खेत लगे हुए है, अतः वहॉ अस्थाई सरंचना की कर्टेनवाल बनाई जाये एवं जिसे खनन् की दिशा में समय–समय पर प्रतिस्थापित किया जा सके, जिससे खनन् से उत्पन्न होने वाली धूल से कृषि प्रभावित न हो ।
7. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।

8. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रू. में)
घूमाहेडा आंगनवाडी केन्द्र में अधोसंरचना विकास हेतु वित्तिय सहायता उपलब्ध कराई जाएगीं।	1,80,000

1. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रमांक	**पौधों का प्रस्तावित स्थान**	**पौधों के नाम**	**मात्रा**
1	**हरित पट्टी (230 मी.) बेरियर जोन में तीन लाइनों में वृक्षरोपण किया जायेगा।**	**नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, खमेर सिस्सू आदि।**	175
2	**पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड (570 मी.) के दोनो ओर 4 फिट की उंचाई वाले पौधे लगाये जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में।**	**नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आदि।**	570

3	**ग्रामीणों में पौधों का वितरण।**	**आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल आदि।**	1655
		Total	2400
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

19. <u>Case No 7996/2020 M/s Banafar Granite Industries, Village - Prakash Bamhori, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur, MP - 471510, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.439 ha. (20,037 cum per annum) (Khasra No. 1347/2/1, 1357/1, 1345, 1349/1), Village - Prakash Bamhori, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP). EIA.</u>

प्रस्तावित खदान समिति की 696वीं बैठक दिनांक 22/11/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि खदान क्षेत्र का कुछ हिस्सा बहुत ही सकरॉ (narrow) है, इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह हिस्सा गैर खनन् क्षेत्र के रूप में संरक्षित किया जावेगा अतः खनन् योग्य क्षेत्र मात्र 1.18 हे. उपलब्ध होगा एवं खदान क्षेत्र के अंदर क्रेशर यूनिट प्रस्तावित नहीं हैं।

परियोजना प्रस्तावक ने प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया कि खदान की 04 खसरों में से 01 खसरा 1357/1 खनन् हेतु प्रतिबंधित है परन्तु समिति ने परिक्षण के दौरान पाया कि क्षेत्रीय प्रमुख,खनिज विभाग के पत्र क्रमांक 2242 दिनांक 08/09/2020 के माध्यम से अनुमोदित खनन् योजना में इस खसरें का उल्लेंख किया गया है अतएव प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गई हैः–

- सक्षम अधिकारी से एक खसरा क्रमांक 1357/1 जो खनन् हेतु प्रतिबंधित है के संबंध में स्पष्ट अभिमत प्रस्तुत किया जायें।
- परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया था कि क्रेशर यूनिट जो की खदान क्षेत्र से 500 मी. की दूरी पर प्रस्तावित है अतः इस संबंध में PM2.5 एवं PM10 के संदर्भ में प्रयुक्त मॉडल में इनपुट वेल्यू (पैरामीटर्स) विचार किये गये थे, साथ ही इन वेल्यू का सोर्स क्या है तथा यह वेल्यू जिस भी ऐजेन्सी/संसथान द्वारा मॉनिटरिंग की गई थी उनके एवं पर्यावरणीय सलाहकार संस्था का अनुबंध पत्र भी प्रस्तुत किया जावें।

उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 22/04/24 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक अमर सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ (ऑनलाईन) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्वेरी के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर का पत्र क्रमांक 254 दिनांक 12/02/2024 प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख है कि लिपिकीय त्रृटिवश स्वीकृत आदेश दिनांक 22/09/2020 में अन्य खसरा नं. के साथ खसरा क्रमांक 1357/1 प्रतिबंधित क्षेत्र का लेख हो गया है। अतः खसरा क्रमांक 1357/1 प्रतिबंधन क्षेत्र होने के आधार पर आदेश क्रमांक 1964 दिनांक 22/09/2020 से विलोपित किया जाता है। अतः पट्टेदार M/s Banafar Granite Industries, Village - Prakash Bamhori के Khasra No. 1347/2/1, 1345, 1349/1, कुल रकबा 2.439 हे0 क्षेत्र पर खनिज पत्थर (क्रेशर से गिट्टी निर्माण) हेतु उत्खनी पट्टा स्वीकृत मान्य किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा MOU of Monitoring Lab and Environment Consultant , Dispersion Modelling Result rFkk CLUSTER MANAGEMENT PLAN Hkh Dosjh ds lkFk layXu fd;kA

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–20,037 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 18.27 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 5.84 लाख प्रति वर्ष ।
1. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 5.84 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि (रू.में)
प्रकाश बम्हौरी गांव के शासकीय माध्यमिक शाला में छात्र–छात्राओं को डिजिटल और तकनीकी शिक्षा हेतु एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर के साथ एक कुर्सी और एक मेज प्रथम वर्ष में दिया जायेगा।	रू 50,000/–
ग्राम प्रकाश बम्हौरी के ग्रामवासियो के लिए चिकित्सा अधिकारी से परामर्श कर आयुष्मान अरोग्य मन्दिर के खाते में योगदान राशि जमा किया जायेगा।	रू30,000/–

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

20. <u>Case No 10877/2023 Shri Chandra Chauhan, Lessee, 490, Gulab Bai Colony, Nagda, District-Ujjain (MP)-456335, Prior Environment Clearance for Makala Stone Quarry in an area of 1.50 ha. (3450 cum per year) (Khasra No. 418/2), Village-Makla, Tehsil-Nagda, District-Ujjain (MP) [DEIAA]</u>

प्रकरण समिति की 714वीं बैठक दिनांक 18/01/2024 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 22/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri CHANDRA CHAUHAN एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर, उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज**	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri CHANDRA CHAUHAN, Leassee, 490, Gulab Bai Colony, Nagda, Ujjain (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	418/2 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.5 hectare.
स्थल	ग्राम MAKLA तसहील Nagda जिला Ujjain (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. उज्जैन का पत्र क्रमांक 7563–64	

	दिनांक 25/06/21 द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया उज्जैन के पत्र क्रमांक 957 दिनांक 19/05/16 के द्वारा पत्थर–5,000 घनमीटर वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–5,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–3450 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 10084 दिनांक 27/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 10084 दिनांक 27/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 10084 दिनांक 27/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सिगरोल जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–3 दिनांक 11/02/09 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing - No
	पूर्व दिशा– आबादी लगभग 170 मी.
	दक्षिण पश्चिम दिशा– पक्की रोड लगभग 24 मी.
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक–37 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त स्थिति में बैठक के दौरान अनुरोध किया गया कि उक्त खनन कार्य रॉक ब्रेकर पद्धति से किया जाना प्रस्तावित है एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक इस्तमाल न करते हुये रॉक ब्रेकर का का इस्तमाल किया जावेगा।

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि रॉक ब्रेकर से बिना किसी विस्फोटक के उपयोग से यदि तकनीकी रूप से तथा व्यवहारिक रूप से खनन किया जाना संभव हो तो इस पर खनिज अधिकारी परीक्षण कर माईनिंग प्लान में आवश्यक संशोधन करेंगें एवं इस बात का विशेष रूप से खनिज अधिकारी ध्यान रखेगें कि क्या बिना ब्लास्टिंग के खनन कार्य किया जाना संभव है अथवा नहीं, तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में बिना किसी ब्लास्टिंग के खनन कार्य किये जाने की सुनिश्चितता की जानकारी खनिज अधिकारी की होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के बाहर लगाये जाने वाले बोर्ड पर अन्य जानकारी के साथ बड़े–बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखा हो, उक्त आशय का उल्लेख सुनिश्चित किया जावेगा।

समिति ने चर्चा उपरांत परियोजना **प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रॉक ब्रेकर का संशोधित माईनिंग प्लान कार्यवाही विवरण जारी होने की दिनांक से 01 माह के अन्दर परिवेश पोर्टल अपलोड करने हेतु एडीएस जारी करें ।**

21. <u>Case No 9776/2023 Shri Rajasahab Bundela S/o Shri Jeevan Singh Bundela, R/o Ubari, Tehsil-Khaniyadhana, District-Shivpuri (MP)-473995, Prior Environment Clearance for Flagstone Quarry in an area of 4.00 ha. (5,040 Cum per annum) (Khasra No. 406 Govt.) Village-Hurri, Tehsil-Khaniyadhana, District-Shivpuri (MP)</u>

This is case of Flagstone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 406 Govt.) Village-Hurri, Tehsil-Khaniyadhana, District-Shivpuri (MP) 4.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजासाहब बुंदेला (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, (उ. प्र.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) का एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1535 दिनांक 14/11/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है जिसके पूर्व दिशा में 130 मीटर, उत्तर दिशा में 170 मीटर पर पक्का रोड़, दक्षिण–पश्चिम दिशा में 150 मीटर पर आबादी, उत्तर दिशा में 25 मीटर पर शेड तथा पूर्व दिशा में 340 मीटर पर नदी है, अतः इनकी संरक्षण योजना ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के अंदर क्रेशर / प्लांट स्थापित हैं, अतः इसका संपूर्ण विवरण तथा इसके भविष्य में उपयोग के बारे में जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ

प्रस्तुत किया जाये। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सिया कार्यालय में अपने पत्र दिनांक 19/12/22 के माध्यम से सूचित किया है कि आवेदित खदान का नाम जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्ज नहीं है, जिसे ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जमा करा दिया जायेगा चूँकि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया **। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है।** उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के पूर्व दिशा में 130 मीटर, उत्तर दिशा में 170 मीटर पर पक्का रोड़, दक्षिण–पश्चिम दिशा में 150 मीटर पर आबादी, उत्तर दिशा में 25 मीटर पर शेड तथा पूर्व दिशा में 340 मीटर पर नदी है, अतः इनकी संरक्षण योजना ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. आवंटित खनन् क्षेत्र के अंदर क्रेशर / प्लांट स्थापित हैं, अतः इसका संपूर्ण विवरण तथा इसके भविष्य में उपयोग के बारे में जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
8. ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये।
9. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें

738वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 अप्रैल 2024

प्रकरण समिति 718वीं बैठक दिनांक 25/01/2024 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 22/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri CHANDRA CHAUHAN एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर, उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि वर्तमान स्थिति में लीज एरिया में क्रेशर नहीं है एवं इस खदान की जनसुनवाई के दौरान कई सुझाव प्राप्त हुये जैसे– पेड़ लगाये जाये, तार फेंसिंग रोजगार आदि जिनको परियोजना प्रस्तावक द्वारा मान्य किये एंव अपनी सहमति व्यक्त की गई ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर– 5040 cum/annum
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 15.40 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 5.11 लाख प्रति वर्ष।
3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नही है, अतः लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नही दी जा सकेगी।
4. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
5. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नोटिस बोर्ड लगाकर सूचना लिखी जावेगी कि लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. **0.50** लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि (रू.में)
हुर्री गांव में एक नया हैंड पंप व उसके चारो तरफ चबूतरा बनवाकर	50,000/–

रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की स्थापना प्रथम वर्ष में की जाएगी ं।	
कुल	**50,000/–**

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, सीताफल खमेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	860
2	हुर्री गाव के प्राइमरी स्कूल में वितरण हेतु।	कदम्ब, अमलास, पुत्रंजीवा, अशोक नीम, मोलश्री, गुलमोहर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां।	20
3	हुर्री, लोटन, भदोरा, गांव, धपोरा गुरैया गांव, खादोय, पुरेनी, बुधोराजपुर गांव के ग्रामवासियो में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरुद, पपीता, नींबू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	3800
4	परिवहन मार्ग पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर	करंज, कदम्ब, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां।	120
योग			4,800
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

22. **Case No 10876/2023 Shri NAVEEN AGRAWAL, Owner, Village- Chindiya, Tehsil- Maheshvar, District - Khargone (M.P.), Prior Environment Clearance for Soil Quarry in an area of 1.00 ha. (2900 cum per year) (Khasra No. 30), Village- Lepa, Tehsil- Kasrawad, District- Khargone (M.P.).**

प्रस्तावित खदान समिति की 714वीं बैठक दिनांक 18/01/2024 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। परीक्षण के उपरांत समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न बिन्दुओं पर जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया :–

- प्रश्नाधीन खदान क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः ट्री इन्वेन्ट्री, झाडी प्रजाति के साथ, ऊचाई एवं गर्थ एवं फोटोग्राफ सहित विषय विशेषज्ञ से प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत की जाये।

उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 22/04/24 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री नवीन अग्रवाल, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री मयंक जादौन, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

समिति द्वारा प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के प्रारम्भ में पर्यावरणीय सलाहकार से पूछने पर ज्ञात हुआ कि उनके यहॉ से स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है। अतः समिति ने निर्देश दिये कि खदान क्षेत्र का एवं आस–पास के क्षेत्र का स्थल निरीक्षण कर जियोटेग फोटोग्राफ के साथ प्रस्तुत करें। तदुपरान्त प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

23. Case No 10843/2023 Shri Kantilal Vagrecha, Lessee, R/o Village-Khawasa, Thandla, District-Jhabua (MP)-457772, Prior Environment Clearance for Bhamal Crusher Stone Deposit in an area of 1.00 ha. (4850 cum per year) (Khasra No. 2080,2081,2082,2083,2084), Village -Bhamal,Tehsil-Thandla,District-Jhabua.

प्रस्तावित खदान का समिति की 712वीं बैठक दिनांक 10/01/2024 को प्रस्तुतीकरण हुआ था ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri KANTILAL VAGRECHA, Lessee, Village -Khawasa, Thandla, District-Jhabua (M.P)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	2080,2081,2082,2083,2084 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.00 hectare.
स्थल	Village -Bhamal,Tehsil-Thandla,District-Jhabua.	

लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के पत्र क्रमांक 100 दिनांक 10/01/18 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया झाबुआ के पत्र क्रमांक 106 दिनांक 22/11/17 के द्वारा पत्थर–4850 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट / डिया से सिया/क्षमता विस्तार ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–4,850 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–4,850 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1036 दिनांक 27/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1036 दिनांक 27/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1036 दिनांक 27/10/23 अनुसार 50 मीटर पर कच्चा रास्ता/नाला एवं 300 मीटर पर जलीय निकाय स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत भामला जिला झाबुआ के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–34 दिनांक 26/01/17 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा– परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लगभग 20 मी. पर खदान का साईट ऑफिस है। पश्चिम दिशा– प्राकृतिक नाला लगभग 20 मी., 30 मी. का सेटबेक प्रस्तावित है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–18 के सरल क्रमांक–27 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है। खनिज विभाग में नॉन माईनिंग के लिये आवेदन किया गया है। नॉन माईनिंग प्लान जमा कर दिया

जायेगा समिति ने विचारोपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत करने हेतु एडीएस जारी किया जावे।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 22/04/24 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक Shri Kantilal Vagrecha एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर, उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि क्षेत्रीय प्रमुख, डीजीएम कार्यालय, इन्दौर से उपान्तरित माईनिंग प्लान का अनुमोदन दिनांक 21/02/2024 के माध्यम से करा लिया गया है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि परिवेश पोर्टल पर जो गूगल इमेज अपलोड़ है उसके आक्षांश'देशांश का मिलान माईनिंग प्लान/डीएसआर के आक्षांश'देशांश से नही होता है अतः परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज अधिकारी से प्रमाणित कराकर संशोधित आक्षांश'देशांश प्रस्तुत किये जायेंगें।

24. <u>Case No. 9987/2023 Smt. AYODHYA KUWARANI, Lessee , Flat No. 508 Orchid Tower Maharana Pratap Nagar, Gwalior (M.P) Pin no 474001. Prior Environment Clearance for SANTAU IRON ORE MINE, Area - 10.718 ha., (113299 Ton/Year) khasra No. - 337/1/min-1/3, 361/1, 378, at Village –Santau, Tehsil-Gird Distt.- Gwalior, (M.P.).</u>

परियोजना प्रस्तावक अयोध्या कुवरानी. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा. लि., नोयडा, (उ.प्र.) आज दिनांक 12/07/2023 को उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–1 श्रेणी के अंतर्गत नया प्रकरण ईआईए प्रस्तुतीकरण का है ।	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/कम्पनी का नाम व पता	Smt. AYODHYA KUWARANI, Lessee, Flat No. 508 Orchid Tower Maharana Pratap Nagar, Gwalior (M.P) Pin no 474001. Prior Environment Clearance for SANTAU IRON ORE MINE, Area - 10.718 ha., khasra No. - 337/1/min-1/3, 361/1, 378, at Village –Santau, Tehsil-City Center Distt.- Gwalior, (M.P.).	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा न0. 337/1/मिन–1/3, 361/1, 378 ग्राम–सॉतऊ, तह.– घाटीगांव, जिला–ग्वालियर (म.प्र.).	10.718 हेक्टेयर, शासकीय भूमि (पहाड)
सैंधातिक सहमति/स्व-	पत्र क0. निरंक दिनांक 31/01/2022 एंव	शुद्वि पत्र क0. निरंक दिनांक

	24/06/2022.
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग नही की जावेगी ।
टॉर	ToR Recommended in 658rd SEAC Meeting dated 12/07/2023. सिया के **Letter no. 1082/SEIAA/2023, dated 10/08/2023 द्वारा उत्पादन क्षमता आयरन ओर –113299 टन/वर्ष के लिये जारी किया गया है जिसके अनुरूप परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई आईए तैयार कर प्रस्तुत की गई है।**
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा आयरन ओर माईन – 1,13,299 टन/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार आयरन ओर माईन – 1,13,299 टन/वर्ष हेतु स्वीकृत है।
परियोजना के 500 मी. की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानेां का विवरण	प्रकरण बी.–1 श्रेणी का होने के कारण 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृति अन्य खदानों का विवरण संबंधी जानकारी पृथक से नही दी गई है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) ग्वालियर के पत्र एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 741 दिनांक 27/04/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। आवेदित भूमि के सर्वे क्र0. 378 एंव 361/1 का भाग आरक्षित वनखण्ड सातऊ की वन सीमा से लगा हुआ है। यह खदान वर्ष 2002 के पूर्व से स्वीकृत होने के कारण संभागीय आयुक्त की समिति से अनुमति की आवश्यकता नही है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पत्र क्रमांक 741 दिनांक 27/04/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में तहसीलदार सिटी सेन्टर के पत्र 19/10/2022 अनुसार सर्वे क्र0. 337/1/मिन–3 से 50 मी. दूरी पर शासकीय विद्यालय स्थित है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सॉतऊ, जिला ग्वालियर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 16 दिनांक 24/01/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नही ं है।
प्रस्तावित स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing-68 Tree , Lantana , Heptis, Madar and other small bushes (approx. 650) Felling – 47 Additional tree to be planted -1770
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	**पूर्वी दिशा** में **आबादी 128 मीटर** दक्षिण दिशा में पक्की रोड पर 42 मीटर पर ग्वालियर करेरा रोड है पुनरीक्षित सरफेस मैप प्रस्तुत किया गया है

प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	प्रकरण बी.–1 श्रेणी प्रमुख खनिज का होने के कारण जानकारी पृथक से नही दी गई है।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यो की समीक्षा की गई।
क्रेशर	क्रेशर लीज के अन्दर प्रस्तावित है

परियोजना प्रस्तावक ने प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया कि यह खदान वर्ष 2002 के पूर्व से स्वीकृत होने के कारण संभागीय आयुक्त की समिति से अनुमति की आवश्यकता नही है। दक्षिण पूर्व दिशा में वन क्षेत्र होने की वजह से 25 मी. का सेटबेक गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा गया है। अतः खनन कार्य हेतु 4.10 हे. क्षेत्र उपलब्ध होता है जो प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के लिये उपयुक्त है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–1,13,299 TPA
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 22.65 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 7.83 लाख प्रति वर्ष ।
3. संशोधित सरफेस मेप का समावेश खनन् योजना में भू–प्रवेश के पूर्व कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
4. संशोधित सरफेस मेप जो परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया है । यदि इससे उत्पादन में परिवर्तन होता है, उसको भी संशोधित माईन प्लान में समावेश किया जावे ।
5. जिला खनिज अधिकारी मौके पर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप के अनुरूप खनन् कार्य किया जावेगा ।
6. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेगें कि संशोधित सरफेस मेप/संशोधित माईन प्लान के अनुरूप खनन् कार्य हुआ है।
7. यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित जिला कलेक्टर के संज्ञान में लायेंगे तथा म.प्र. गौण खनिज नियम के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित् करेंगे तथा सिया को अवगत करायेंगे ।
8. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
9. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।

10. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. **2.10** लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि (रू.में)
परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम सातऊ के ग्राम पंचायत के खाते में प्रथम वर्ष में जमा किया जायेगा।	60,000
शासकीय स्कूल, सातऊ में एक कंप्यूटर और एक प्रिंटर साथ में एक कुर्सी व एक टेबल प्रथम वर्ष में दिया जायेगा।	50,000
परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम सातऊ के वेलनेस सेंटर के खाते में प्रथम वर्ष में जमा किया जायेगा।	50,000
सातऊ गांव के किसान वाशियो के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जैविक खाद्य निर्माण एवं उपयोग के लिए सतत प्रशिक्षण	50,000/-

11. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 14470 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1.	**गैर खनन क्षेत्र एवं बैरियर जोन क्षेत्र**	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, सीताफल, अर्जुन, खमेर, जंगल जलेबी, बांस, चिरौल और अन्य उपलब्ध पौधों की प्रजातियाँ।	7920
2.	सातऊ गाव के प्राइमरी स्कूल में रोपण हेतु।	कदम्ब, अमलतास, नीम, अशोक, गुलमोहर, कुसुम, पुत्रंजीवा, मोलश्री सजावटी पौधों की प्रजातियाँ।	50
3.	सातऊ, खेरिया मृत्य, खेरिया कछाई, मौछ, निहोना, आंतरी गांव के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	इमली, आंवला, कथल, मुनगा, आम, आम, जामुन, अमरुद, जंगल जलेबी और अन्य उपलब्ध पौधों की प्रजातियाँ।	6400
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव /			

मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

25. <u>Case No 9460/2022 Shri Ramsingh, Owner, Panchkuva Shankarpur, Makshi road, District Ujjain (MP)-456001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.40 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 159), Village - Gunaikhalsa, Tehsil - Ujjain, Dist. Ujjain (MP) (EIA)</u>

प्रस्तावित समिति की 714वीं बैठक दिनांक 18/01/2024 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि खदान पूर्व दिशा में स्थित पहाडी के तलहटी में स्थित है जो लीज एरिया के अंदर आ रही है, समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निद्रेश दिया की इस क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र छोडते हुये मियावाकी (सघन रोपण) पद्धति से पौधारोपण प्रस्तावित करें एवं साथ ही खदान के उत्तर दिशा में पक्की रोड लगभग 108 मी. एवं कच्चा रोड 16 मी. तथा एक पक्का मकान लगभग 29 मी. की दूरी पर स्थित है, अतः इन सभी संवेदनशील बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुये पुर्नरक्षित सरफेस प्लान प्रस्तुत करें। परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि उनके द्वारा खनन कार्य में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिया खनन योजना में भी संशोधन करवाये, तथा सक्षम विभाग से अनुमोदन कराकर परिक्षण हेतु प्रकरण को पुनः प्रस्तुत करें।

उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 22/04/24 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री श्रीराम ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर, उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

- PP submitted that Approved Modified Mining Plan approved by Regional Head, DGM, Indore in which Non blasting details is given in page No. 14 of the Modified Mining Plan of this document Pdf.
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया कि एक अस्थाई संरचना खदान क्षेत्र के दक्षिणी ओर है।
- लीज क्षेत्र में 13 पेड़ हैं जिनमें से 9 पेड़ काटे जाना प्रस्तावित हैं जिसकी एवज में 90 अतिरिक्त पेड़ लगाये जावेंगें।

738वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 अप्रैल 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 10,000 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 14.82 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 4.26 लाख प्रति वर्ष ।
3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नही है, अतः लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नही दी जा सकेगी।
4. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
5. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नोटिस बोर्ड लगाकर सूचना लिखी जावेगी कि लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 08.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि (रू.में)
उन्नत कृषि के लिए आधुनिक तरीके से कृषि करने की ट्रेनिंग गांव के किसानों के लिये आयोजित की जावेगी।	40,000
ग्राम सुनाई खालसा के आंगनवाड़ी केन्द्र के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।	40,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2290 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

वर्ष	पोघो का प्रस्तावित स्थान	पौधों के नाम	मात्रा
1	हरित पट्टी (7.50 मी. बेरियर जोन में 580 मी. की लम्बाई पर तीन लाइनों में वृक्षारोपण किया जावेगा।	नीम, सीताफल, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सफेद कस्टार, सिस्सु, काला सिरस, सफेद सिरस आदि।	450

	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड (280 मी.) के दोनों ओर 2 लाइनों में 4 फिट की उंचाई वाले पौधे लगाये जायेगंगें ट्री गार्ड के साथ में ।	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल आदि।	250
	आसपास के ग्रामीण किसानों को पौधे वितरित किये जायेंगें।	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल आदि।	1000
	नॉन माईनिंग क्षेत्र में लगाये जाने वाले पौधे एवं पट्टा क्षेत्र के अन्दर काटे जाने वाले वृक्षों के बदले लगाये जाने वाले पौधों की संख्या।	नीम, सीमाफल, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सफेद कस्टार, सिस्सु काला सिरस, सफेद सीरस आदि।	500+ 90
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			
		Grand Total	2290

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland

and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.

15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    g. Lease owner's Name, Contact details etc.
    h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    j. Minable Potential of sand mine.
    k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.

v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river…….bank" shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.
38. **विगत वर्षो में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेथन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।**
39. **पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।**

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the

exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.

6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    m. Lease owner's Name, Contact details etc.
    n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.

o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
p. Minable Potential of sand mine.
q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.

41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.

20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
    - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.

- ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
    - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
    - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
    - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
    - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
    - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
    - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
    - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		

	तीन वर्षो तक ।	
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद	

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :– रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

.

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियॉ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियॉ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थाानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों, लताओ को और घास को क्षति नहीं पहॅूचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई च्तवदम ठतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे